16

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(12)राज / 2010 / दिनांक :-- /5/2010

संपरिवर्तन आदेश

धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला जरिये अध्यक्ष जयसिंह पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा की खातेदारी अभिधृति में धारित ग्राम हमीरवास तहसील झुझुनू में स्थित कृषि भूमि ख0न0 256 रकबा 2.78 है0 में से 5000 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु सपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता	धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला जरिये अध्यक्ष जयसिंह पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम हमीरवास ग्राम पंचायत कासिमपुरा तहसील झुझुनू
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खसरा संख्या 256 रकबा 2.78 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ख0 न0 256 रकबा 2.78 है0 मे से 5000 वर्गमीटर
	टिप्पणी :-- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरुप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 37 दिनांक 25.05.10 राशि 25,000/--रू0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्ठिया यदि कोई हो	नही

सचिव
धतरवाल एज्युकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)

सचिव
धतरवाल एज्युकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)

15

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा। (3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क मध्य से 25 मीटर निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी व निर्धारित पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा –निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (8) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से जाने के लिए स्वीकृति चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से और यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। (9) राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17–7–2007 की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावे तथा वर्षा पानी का संग्रहण व सौर उर्जा का प्रावधान सुनिश्चित करें। कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा।

जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प. 12(3)(12)राज/2010/2719-26

दिनांक :–27/5/2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू।
2. तहसीलदार झुन्झुनू को शर्त सं. 9 की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयक झुन्झुनू।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुन्झुनू।
5. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बगड।
6. सचिव, ग्राम पंचायत कासिमपुरा तह0 व जिला झुन्झुनू।
7. धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला जरिये अध्यक्ष जयसिंह पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा
8. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

सचिव
धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)

सचिव
धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू

सचिव
धतरवाल एज्यूकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)

सचिव
धत्तरवाल एज्युकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)

सचिव
धत्तरवाल एज्युकेशन सोसायटी
मण्ड्रेला, जिला : झुन्झुनू (राज.)